

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-17/2016-81 (आवंटन) / कृ., पटना, दिनांक 06-09-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रमु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/ बक्सर/रोहतास/कैमूर
(भमुआ)/गया / जहानाबाद/अरवल/नवादा/ औरंगाबाद/ भागलपुर/बाँका/
मुंगेर/ जमुई/ लखीसराय/शेखपुरा/ सारण/सिवान/गोपालगंज /मुजफ्फरपुर
/वैशाली /सीतामढ़ी /शिवहर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/दरभंगा/
मधुबनी/ समस्तीपुर/ बेगुसराय/सहरसा/सुपौल/ मधेपुरा/ खगड़िया/पूर्णिया/
किशनगंज/अररिया/कटिहार।

विषय :

कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए वर्ष 2016-17 में
जिरो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण एवं संबंधित मदों के लिए राज्य योजना के अंतर्गत
1657.60 लाख रु० (सोलह करोड़ सन्तावन लाख साठ हजार रु०) मात्र की लागत
से योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के
लिए 33.152 लाख रु० (तींतीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी एवं
व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹33,14,800 (तींतीस लाख चौदह
हजार आठ सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3665-दिनांक-22.08.2016 द्वारा कृषि रोड मैप
के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए वर्ष 2016-17 में जिरो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण एवं संबंधित
मदों के लिए राज्य योजना के अंतर्गत 1657.60 लाख रु० (सोलह करोड़ सन्तावन लाख साठ हजार रु०) मात्र
की लागत से योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए 33.152 लाख
रु० (तींतीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल
₹33,14,800 (तींतीस लाख चौदह हजार आठ सौ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की
जाती है।

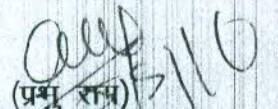
2. उपरोक्त ₹33,14,800 (तींतीस लाख चौदह हजार आठ सौ रुपये) मात्र का व्यय बजट
शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग
संख्या-1- उपशीर्ष-0134-इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पेट नई योजना, विपत्र
कोड-P2401007960134, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5022 विषयशीर्ष-3301- सब्सिडी मद में वित्तीय
वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि.
(2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय
किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से
उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रमु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

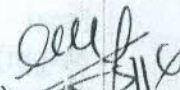
ज्ञापांक

81 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 06-07-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

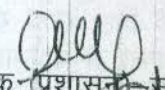

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

81 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 06-07-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रीकरण कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

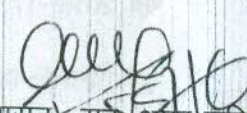

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

81 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 06-07-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

स्वीकृत्यादेश संख्या-3665 दिनांक-22.08.2016 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए जीरो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007960134 (राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	1,30,200	1,30,200
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	97,700	97,700
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	88,800	88,800
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	56,200	56,200
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	97,700	97,700
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ।	59,200	59,200
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	1,30,200	1,30,200
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	35,500	35,500
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	26,600	26,600
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	74,000	74,000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	79,900	79,900
12	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	94,700	94,700
13	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	71,000	71,000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	38,500	38,500
15	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	59,200	59,200
16	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	32,600	32,600
17	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपूरा।	20,700	20,700
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	1,30,200	1,30,200
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	1,15,400	1,15,400
20	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	91,800	91,800
21	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	1,51,000	1,51,000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	1,12,500	1,12,500
23	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	1,06,600	1,06,600
24	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	20,700	20,700
25	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	1,59,800	1,59,800
26	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	1,24,300	1,24,300
27	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	1,30,200	1,30,200
28	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	1,56,900	1,56,900
29	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	1,48,000	1,48,000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	1,00,600	1,00,600
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	59,200	59,200
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	71,000	71,000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	65,100	65,100
34	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	50,300	50,300
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	97,700	97,700
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	50,300	50,300
37	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	85,800	85,800
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	94,700	94,700
	कुल	33,14,800	33,14,800

कुल- (तीन लाख चौदह हजार आठ सौ रूपये) मात्र।

(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।